FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT | P.S. (थाना): C.P.S Jaipur | Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0299 | Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 14/11/2025 17:35 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन | Date From (दिनांक से): 04/11/2025 | Date To (दिनांक तक): 11/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर | Time From (समय से): 13:15 बजे | Time To (समय तक): 15:46 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/11/2025 | Time (समय): 17:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 | Date & Time (दिनांक एवं समय) 14/11/2025 17:35:12 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 45 किमी | Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b)Address(पता): KARISHI UPAJ MANDHI SAMITI ANAJ, SURAJPOL JAIPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): | District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): NAVEEN KUMAR AGARWAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAJENDRA PARASAD AGARWAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1977 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	20, BAIRATHI NAGAR II, KARTARPURA, MAHESH NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	20, BAIRATHI NAGAR II, KARTARPURA, MAHESH NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	INDRA KUMAR MEENA		पिता:SHIVCHAND MEENA	1. 06 MB 49,INDRA GANDHI NAGAR,JAGTPURA JAIPUR,JAWAHAR CIRCLE,JAIPUR CITY

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 04-11-2025 को परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल ने श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलीस अधीक्षक SIU A.C.B JAIPUR विषयः- रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने हेतु महोदय निवेदन है कि मेरी रेणु टेडर्स के नाम से सूरजपोल मण्डी जयपुर मे चीनी की दुकान हे। चीनी की गाडी मण्डी परिसर में प्रवेश करने पर कृषि कल्याण कोष का टेक्स 0-5 जमा कराना होता हे। जिसके लिए मण्डी समिति का लाइसेंस जरूरी होता हे। मण्डी समिति का लाइसेंस बनवाने के लिए समिति अधीक्षक श्री इन्दर कुमार मीणा से मिलने पर श्री इन्दर कुमार मीणा ने कहा कि मे आपका लाइसेंस जारी कर दूंगा जब तक लाइसेंस नही बनता है तब तक आप गाडीयों की मण्डी परिसर मे प्रवेश की रसीद बनवा लेना और जब लाइसेंस बन जावे तब उक्त रसीदो के हिसाब से टेक्स जमा करवा देना मे श्री इन्दर कुमार मीणा के कहे अनुसार मण्डी में प्रवेश की रसीदे प्राप्त कर रहा हॅ़ूताकि कृषि कल्याण कोष जमा करवाया जा सके लेकिन पिछले दो महीने से श्री इन्दर कुमार मीणा ने मण्डी गेट कर्मचारियो को रसीदे जारी करने से मना कर दिया है। श्री इन्दर कुमार मीणा मेरी फर्म का लाइसेस जारी करने की एवज मे अपने दलाल मालीराम व उसके लडके कृष्णा को भेज कर 8000 रू रिश्वत राशि मांग रहा है। श्री इन्दर कुमार मीणा मण्डी मे एन्ट्री करने पर पहले जारी की गयी रसीदो के टेक्स का पैसा जमा नही करवाने तथा रसीदे वापस लोटाने की कह रहा है। इसके बदले मे टेक्स की राशि का कुछ हिस्सा रिश्वत के रूप मे लेने की कह रहा है। मे मेरी फर्म का लाइसेंस बनवाने तथा पहले जारी की जा चुकी रसीदो के टेक्स की एवज में श्री इन्दर कुमार मीणा या उसके दलाल को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूW और उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूW मेरी श्री इन्दर कुमार मीणा व दलाल से कोई रंजिश नही है और उधार का लेन देन भी नही है। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे उक्त आशय की रिपोर्ट पेश करने पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पृष्ठांकित करने पर परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल को हमराह लेकर कार्यालय में आकर परिवादी से उक्त लिखित रिपोर्ट के सबंध में दरियाफ्त कि तो परिवादी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना बताते हुये प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृति की तथा बताया कि मेरे द्वारा मेरी पत्नी के नाम संचालित रेणु टेडर्स फर्म से चीनी का व्यापार दिनांक 01-08-2024 से किराये की दुकान नं. ए-9 सुरजपोल मण्डी जयपुर में लेकर किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कृषि कल्याण कोष (के-3½ के नाम पर मेरी दुकान में आने वाली चीनी की गाड़ीयों को मण्डी के गेट पर ही मण्डी कर्मचारियों के द्वारा रूकवाया जा रहा था जिस पर मैंने मण्डी के गेट कर्मचारियों से बात की तो उन्होने बताया कि आप सुरजपोल मण्डी के अधीक्षक श्री इन्दर कुमार मीणा या मालीराम जी से सम्पर्क कीजिये तो मैंने गेट कर्मचारियें को कहा कि आप गाड़ियों को अन्दर आने दो मैं उक्त दोनो से मिल लूWगा। इस पर गेट कर्मचारियों के द्वारा मेरी गाड़ियों को अन्दर आने दिया गया। लेकिन मैंने उक्त दोनों व्यक्तियों से सम्पर्क नहीं किया तो कुछ दिनों बाद मेरी दुकान पर आने वाली गाड़ी को गेट कर्मचारियों द्वारा फिर रोका गया तो मैंने उनसे मालीराम जी के मोबाईल नम्बर लेकर बात की तथा मालीराम जी को मेरी दुकान पर आने वाली गाड़ीयों को मण्डी में प्रवेश देने के लिये निवेदन किया तो मालीराम जी ने मुझे कहा कि आप मिलने के लिये नहीं आये तब मैंने व्यस्त होने के कारण मिलने में देरी होना बताया तथा उन्हें दुकान पर मिलने के लिये बुलाया तब मेरी गाड़ीयों को अन्दर प्रवेश करने दिया। श्री मालीराम मेरी दुकान पर आये और कृषि कल्याण कोष की रसीदें कटवाने के लिये कहा। तब मैंने श्री मालीराम से कहा कि हमारी फर्म का मण्डी लाईसेन्स नहीं बना है तो मैं मण्डी लाईसेन्स बनवाकर कृषि कल्याण कोष की रसीदें कटवा लुWगा। इस पर मण्डी अधीक्षक श्री इन्दर कुमार मीणा से मिला और हमारी फर्म का मण्डी लाईसेन्स बनवाने के लिये कहा तो श्री इन्दर कुमार मीणा ने कहा कि आपकी फर्म का लाईसेन्स बनने में समय लग सकता है तब तक आप कृषि कल्याण कोष की रसीदें कटवा लो बाद में उन रसीदों का समायोजन कर लेगें। तब मैं हमारी फर्म पर आने वाली गाड़ियों की कृषि कल्याण कोष की रसीदें कटवाने लगा। इसी दौरान मैं श्री इन्दर कुमार मीणा से हमारी फर्म का मण्डी लाईसेन्स बनवाने के लिये कई बार मिला तो श्री इन्दर कुमार मीणा ने मुझे श्री मालीराम से मिलने के लिये कहा। परिवादी ने बताया कि इस पर मैं मण्डी में कार्यरत श्री मालीराम जो कि मण्डी में व्यापारियों के लिये काम करता है से मिला तो श्री मालीराम ने मुझे एक स्लिप पर लाईसेन्स बनवाने के लिये लिखे हुए जरूरी कागजात की सूची तथा लाईसेंस के लिये एक फॉर्म दिया था तथा लाईसेंस जारी करने के लिये श्री इन्दर कुमार मीणा

को आठ हजार रूपये देने की बात भी कही थी। श्री मालीराम का पैर फ्रेक्चर हो जाने पर अब मालीराम का बेटा मुझसे इन्दर कुमार मीणा को पैसे देने के लिये कह रहे है। जिस पर मेरे द्वारा सूची में लिखे दस्तावेज के क्रम में दिनांक 01-11-2025 को 100 रुपये का स्टाम्प खरीदवाकर स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र टाईप करवा लिया है एवम् फर्म के नाम 10000 रुपयें की एनएससी पोस्ट ऑफिस में दिनांक 03-11-2025 को जमा करवाई जा चूकी है। इस प्रकार परिवादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाता हैं जिसका मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक हैं। जिस हेतु कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री महेन्द्र कुमार कानि0 नं0 372 को तलब कर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड (32 जीबी सनडिस्क कम्पनी का) मंगवाया गया तत्पश्चात परिवादी व कानि0 श्री महेन्द्र कुमार कानि0 नं0 372 का आपस में परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बर आदान प्रदान करवाये गये तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से कानि0 श्री महेन्द्र कुमार कानि- नं- 372 को अवगत कराया गया। तत्पश्चात परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में एक नया मेमोरी कार्ड लगाया गया बाद उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा मेमोरी कार्ड दोनों को परिवादी के समक्ष खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी तथा कानि0 दोनों को दिखाया गया। परिवादी को सत्यापन कार्यवाही हेतु श्री महेन्द्र कुमार कानि. 372 के साथ गोपनियता की हिदायत की गई। इसी दौरान परिवादी ने बताया कि आज मैंने दुकान नहीं खोली है तथा 4-00 बजे के करीब मैं मेरी दुकान बंद कर कलेक्शन के लिये निकल जाता हूW इसलिए आज मैं मण्डी नहीं जाउॅंगा। इसलिए कल दिनांक 05-11-2025 को आप श्री महेन्द्र कुमार कानि 372 को सत्यापन कार्यवाही हेतु कृषि उपज मण्डी सुरजपोल जयपुर भेज देना। इस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रूखसत किया तथा कल का राजकीय अवकाश होने से श्री महेन्द्र कुमार कानि.372 को डीवीआर को सुरक्षित स्वयं के पास में रखने तथा परिवादी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन हेतु बुलाने पर डीवीआर साथ लेकर जाने की हिदायत कर सुपुर्द किया गया।दिनांक 05-11-2025 को समय 10-26 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये व्हाटसएप कॉल श्री महेन्द्र कुमार कानि. 372 को परिवादी द्वारा बुलाये जाने पर डीवीआर साथ लेकर जाने की हिदायत मुनासिब की गई। समय 12-22 पी.एम पर श्री महेन्द्र कुमार कानि. 372 ने मन् पुलिस निरीक्षक को व्हाटसएप कॉल किया किन्तु आवाज नहीं आने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री महेन्द्र कुमार कानि. 372 को वापस व्हाटसएप कॉल किया तो श्री महेन्द्र कुमार कानि.372 ने बताया कि परिवादी ने संदिग्ध अधिकारी के अभी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं होना तथा आज राजकीय अवकाश होने से कार्यालय में आने की संभावना नहीं होना बताया है इस पर परिवादी से श्री महेन्द्र कुमार कानि. के मोबाईल फोन से वार्ता की तो परिवादी ने भी आज रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही नहीं होने की संभावना जताई तथा कल दिनांक 06-11-2025 को संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित आने पर सत्यापन कार्यवाही की संभावना जताई। जिस पर श्री महेन्द्र कुमार कानि. को परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर अपनी सकुनत पर पहुWचने तथा डीवीआर को सुरक्षित स्वयं के पास रखने की हिदायत मुनासिब की गई। दिनांक 06-11-2025 समय 10-00 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आज संदिग्ध अधिकारी के अपने कार्यालय में आने की संभावना को ध्यान में रखकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु श्री महेन्द्र कुमार को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर कृषि उपज मण्डीसुरजपोल रवाना होने की हिदायत कर रवाना किया गया। समय 331 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने जरिये व्हाटसएप कॉल कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी की तो परिवादी ने बताया कि श्री महेन्द्र कुमार कानि. मेरे पास आ गये थे लेकिन अभी तक संदिग्ध अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं आया है इसलिए संदिग्ध अधिकारी से वार्ता नहीं हो पायी है। समय 428 पी.एम पर श्री महेन्द्र कुमार कानि. 372 ने मन् पुलिस निरीक्षक को व्हाटसएप कॉल कर बताया कि मैं ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर आपके बताये अनुसार कृषि उपज मण्डी सुरजपोज जयपुर परिवादी की दुकान पर पहुच कर परिवादी से मिला जिस पर परिवादी ने बताया की संदिग्ध अधिकारी अभी तक अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं आया है इस पर काफी समय तक संदिग्ध अधिकारी के अपने कार्यालय में उपस्थित आने का इन्तजार किया लेकिन संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं आने पर मण्डी गेट पर लगे कर्मचारियों ने बताया कि श्री इन्दर कुमार मीणा जमवारामगढ गये हुये हैं। इस कारण अब संदिग्ध अधिकारी के आने की कोई संभावना नहीं है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री महेन्द्र कुमार कानि. को परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आने की हिदायत की गई। दिनांक 07-11-2025 समय 9-30 ए.एम पर परिवादी ने जरिये व्हाटसएप मन् पुलिस निरीक्षक को कॉल कर बताया की आज संदिग्ध अधिकारी अपने कार्यालय में आ सकता है अतः आप रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु श्री महेन्द्र कुमार को कृषि उपज मण्डी सुरजपोल भेज दो जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री महेन्द्र कुमार कानि.नं.372 को तलब कर पूर्व से तैयार विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया था को बाहर निकलवाकर पुनः खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल के पास कृषि उपज मण्डीसुरजपोल जयपुर पहुच रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। समय 10-30 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को मोबाईल फोन कर बताया कि श्री महेन्द्र कुमार को मैनें ब्यूरो मुख्यालय से आपके बताये अनुसार कृषि उपज मण्डी सुरजपोज रवाना कर दिया था। जिस पर परिवादी

ने बताया कि श्री महेन्द्र कुमार मुझसे मिल लिये है लेकिन श्री इन्दर कुमार मीणा अभी तक अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं आया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री महेन्द्र कुमार कानि. को परिवादी के मोबाईल फोन पर ही वार्ता कर गोपनीयता बरतने की हिदायत की गई। समय 3-11 ए.एम पर श्री महेन्द्र कुमार कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक को व्हाटसअप कॉल कर बताया कि मैनें कृषि उपज मण्डी सुरजपोल में काफी समय तक संदिग्ध अधिकारी के अपने कार्यालय में उपस्थित आने का इन्तजार किया लेकिन संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं आने पर परिवादी ने बताया कि अब संदिग्ध अधिकारी के आने की कोई संभावना नहीं है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री महेन्द्र कुमार कानि. को परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आने की हिदायत की गई।दिनांक 08-11-2025 समय 1-55 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को उसके मोबाईल पर फोन कर बताया कि श्री इन्दर कुमार मीणा के सुरजपोल मण्डी में आने के संबंध में जानकारी की गई तो परिवादी ने बताया कि मैनें अभी थोडी देर पहले श्री इन्दर कुमार मीणा के सुरजपोल मण्डी में आने के संबंध में जानकारी की तो मण्डी गेट कर्मचारियों ने आज इन्दर कुमार मीणा के ऑफिस में आने की जानकारी दी है इसलिये आप श्री महेन्द्र कुमार को जल्दी से मेरी दुकान पर भिजवा दे। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री महेन्द्र कुमार कानि0 को व्हाटसअप् कॉल लगाया लेकिन श्री महेन्द्र कुमार कानि- द्वारा कॉल रिसीव नही किया गया। समय 2-03 पी.एम पर श्री महेन्द्र कुमार कानि- द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को व्हाटसअप् कॉल कर बताया कि मैं मोटरसाईकिल चला रहा था इसलिये आपका कॉल नही उठा पाया था। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री महेन्द्र कुमार कानि को मांग सत्यापन वार्ता हेतु शीघ्रता से परिवादी की दुकान सुरजपोल मण्डी पहुचने की हिदायत की गई तो श्री महेन्द्र कुमार कानि- ने बताया कि मेरे पास परिवादी का कॉल आ गया था और मैं डीवीआर लेकर परिवादी की दुकान ही जा रहा हुW। समय 4-09 पी.एम पर श्री महेन्द्र कुमार कानि- द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को व्हाटसअप् कॉल कर बताया कि मैं परिवादी की दुकान पर सुरजपोल मण्डी पहुच गया था। संदिग्ध अधिकारी की उपस्थिति कार्यालय में सुनिश्चित होने पर मैनें समय 04-05 मिनट पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी को सुपुर्द कर दिया था तथा मैं गोपनीयता बरतते हुवे मण्डी कार्यालय के पास ही परिवादी के वापस आने का इन्तजार कर रहा हु।समय 4-47 पी.एम पर श्री महेन्द्र कुमार कानि- द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को व्हाटसअप् कॉल कर बताया कि संदिग्ध अधिकारी से वार्ता कर परिवादी समय 04-39 पर मण्डी कार्यालय से बाहर आ गया था। परिवादी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। परिवादी ने वार्ता के दौरान संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वंय की फर्म का लाईसेन्स जारी करवाने की एवज में 8000 रुपये की रिश्वत मांगना बताया है इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मैं महेन्द्र जी से चालु हालत में डीवीआर लेकर श्री इन्दर कुमार मीणा से उनके कार्यालय में वार्ता करने गया तो श्री इन्दर कुमार मीणा ने मालीराम द्वारा दी गई सूची के दस्तावेज तैयार करवाकर सोमवार को डॉक्युमेन्टस तथा हमारी फर्म का लाईसेन्स जारी करवाने की एवज में 8000 हजार रुपयें मालीराम को देने के लिये कहा है लेकिन मैंने दस्तावेज व पैसे श्री इन्दर कुमार मीणा को देने की बात कही है। जिस पर परिवादी को लाईसेन्स बनवाने के लिये मालीराम द्वारा दी गई सूची के दस्तावेज एवम् दी जाने वाली रिश्वती राशि लेकर सोमवार को ब्यूरो मुख्यालय कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई तथा श्री महेन्द्र कुमार को डीवीआर सुरक्षित स्वंय के पास रखने की हिदायत की गई। दिनांक 10-11-2025 समय 10-00 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान 1- श्री नीरज जोशी हाल- कनिष्ठ सहायक राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-4 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर एवं 2-श्री आकाश राज हाल कनिष्ठ परियोजना अभियन्ताप्रताप नगर जयपुर को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने लिए तलब किया गया। समय 11-00 ए.एम पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान 1- श्री नीरज जोशी हाल- कनिष्ठ सहायक राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-4 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर एवं 2-श्री आकाश राज हाल कनिष्ठ परियोजना अभियन्ता प्रताप नगर जयपुर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आयें जिन्हें कार्यालय में बिठाया गया परिवादी के आने का इन्तजार किया गया। समय 2-30 पी.एम पर परिवादी ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया जिसे कार्यालय में बिठाया गया परिवादी को संदिग्ध अधिकारी श्री इन्दर कुमार मीणा/श्री मालीराम को स्वंय की फर्म का लाईसेन्स बनवाने की एवज में मांगी जा रही रिश्वती राशि एवम् दस्तावेजात पेश करने के लिये कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मैंने आज मण्डी में अपनी दुकान नही खोली है तथा आज यदि मैं पैसे देने के लिये जाउंगा तो इन्हें शक हो सकता है इसलिये मैं आज ट्रैप कार्यवाही नही करवाना चाहता हु तथा मैं श्री मालीराम को पैसे नही देकर श्री इन्दर कुमार मीणा को ही सीधे पैसे एवम् दस्तावेज देना चाहता हु। श्री मालीराम के पैर मे फ्रेक्चर हो रखा है मालीराम मण्डी मे भी नही आ रहा है। आज मैं श्री मालीराम का फोन आने का इन्तजार कर रहा हु। चुकिः परिवादी आज ट्रैप कार्यवाही नही करवाना चाहता है इसलिये परिवादी को ब्यूरो कार्यालय में ही श्री मालीराम के फोन आने का इन्तजार करने की हिदायत की गई। समय 03-56 पी.एम पर परिवादी ने बताया कि मालीराम ने [redacted] मोबाईल न0 से समय 03-46 पी0एम0 पर मेरे मोबाईल पर कॉल किया है लेकिन मैंनें श्री मालीराम का फोन कॉल रिसीव नही किया। जिस पर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को श्री महेन्द्र कानि0 द्वारा चालु करवाकर परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर श्री मालीराम को वापस इसी नम्बर पर फोन करवाया गया तो श्री मालीराम ने इन्दर कुमार मीणा द्वारा परिवादी से मिलने एवम् हिसाब किताब करने के लिये मण्डी में आना बताया। परिवादी ने अपने रिश्तेदार का बीमार होना बताते हुवे

आज दुकान नही खोलना बताते हुवे वार्ता की गई। उक्त वार्ता को डीवीआर में रिकॉर्ड किया जाकर डीवीआर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। परिवादी ने बताया कि आज ट्रेप कार्यवाही की कोई संभावना नही है मैं कल आपके पास कार्यालय समय पर दस्तावेज एवम् रिश्वती राशि लेकर उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी को हिदायत मुनासिब कर रुखस्त किया गया एवम् कार्यालय में उपस्थित आये हुवे स्वतन्त्र गवाहान को भी कल कार्यालय समय पर उपस्थित आने की हिदायत मुनासिब कर रवाना किया गया।दिनांक 11-11-2025 समय 10-30 ए.एम पर परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल उपस्थित कार्यालय आया जिन्हें बैठाया गया तथा आज ट्रेप कार्यवाही का आयोजन होने से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान 1- श्री नीरज जोशी हाल- कनिष्ठ सहायक राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-4 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर एवं 2-श्री आकाश राज हाल कनिष्ठ परियोजना अभियन्ताप्रताप नगर जयपुर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये जिन्हें भी कार्यालय में बिठाया गया। समय 11-00 ए.एम पर परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल ने मुझ निरीक्षक पुलिस को बताया कि मेरी दुकान पर बैंक वाले विजिट करने आये हुए हैं तथा मुझे मेरी दुकान खोलना आवश्यक है जिसके लिए मुझे एक बार दुकान पर जाना जरूरी है तथा मैं दुकान खोलकर बैंकों वालों से मिलकर वापस आ जाउॅगा लेकिन मैं दुकान वापस बन्द नहीं कर सकता क्योंकि मण्डी वाले सोचेगें की दुकान वापस बंद क्यों की हैइसलिए आप श्री महेन्द्र कानि. को मेरे साथ भेज दो ताकि मैं दुकान पर उनको छोड़कर ट्रेप कार्यवाही के लिए आपके पास वापस आ सकू जिस पर परिवादी व श्री महेन्द्र कुमार कानि.372 को मुनासिब हिदायत कर परिवादी की मोटर साईकिल नं. आरजे 14 पीएस 1077 से रवाना किया गया। समय 11-20 ए.एम पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान को नाम पता पूछने पर क्रमशः श्री नीरज जोशी पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 37 साल निवासी 1314 क ग्रीन फिल्ड पब्लिक स्कूल के सामने रामनगर सोडाला जयपुर हाल- कनिष्ठ साहयक राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड-4 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर तथा श्री आकाश राज पुत्र श्री निर्भय सिह जाति यादव उम्र 25 साल निवासी अलावल चक पोस्ट थाना-रामपुर चौरम जिला अरवल राज्य बिहार हाल कनिष्ठ परियोजना अभियन्ता प्रताप नगर जयपुर होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहान को ट्रेप कार्यवाही प्रस्तावित होने के संबंध में जानकारी दी जाकर मुनासिब हिदायत की गई। समय 1-00 पी.एम पर श्री महेन्द्र कुमार कानि. 372 ने जरिये व्हाट्सएप कॉल कर बताया कि मैं अभी परिवादी की दुकान पर हॅू तथा परिवादी ब्यूरो मुख्यालय आने के लिए यहाँ से रवाना हो गया है। समय 1-30 पी.एम पर परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल उपस्थित कार्यालय आया जिन्हे बैठाया जाकर पूर्व से उपस्थित स्वतंत्र गवाहान से परिचय करवाया गया तथा हालात चौकी प्रभारी को निवेदन किये जाकर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम में लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी में बाहर निकालकर उसमें रिकॉर्ड परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी के मध्य दिनांक 08-11-2025 को रिश्वती राशि मांग सम्बन्धी वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से दोनों गवाहान को सरसरी तौर पर सुनाई गई। दोनों गवाहान ने परिवादी की शिकायत एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सन्तुष्ट होकर स्वेच्छा से टैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम में लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित स्वयं के पास सुरक्षित रखा।तत्पश्चात् उपरोक्त मौतबीरान के समक्ष परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल को दिनांक 08-11-2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुताबिक संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि एंव लाईसेन्स बनवाने के लिए दस्तावेजात पेश करने के संबंध में कहा गया तो परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल ने अपने पास से मूल लाईसेन्स आवेदन पत्र मूल शपत्र पत्र-एनएससी की रसीद व आधारपैनफर्म का जीएसटी नं. दुकान का किरायानामा की छायाप्रति मय मालीराम द्वारा दी गई सूची निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किये। जिनकी फोटो प्रति करवाकर परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये व लाईसेन्स बनवाने के लिए पेश किये गये मूल/छायाप्रति दस्तावेजात वापस परिवादी को सुपुर्द किये। तत्पश्चात अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 8000/-रूपये जिनमें पांच-पांच सौ रूपये के 16 नोट कुल 8000/- रूपये परिवादी द्वारा निकाल कर मन् निरीक्षक पुलिस को पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया। महिला श्रीमती मंजू सिंह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी में रखी हुई फिनॉफ्थलीन पावडर की शीशी मंगवाई जाकर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के समक्ष परिवादिया द्वारा प्रस्तुत संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 8000@- रूपये के 16 नोटों (भारतीय चलन मुद्रा के) पर अच्छी तरह से फिनॉफ्थलीन पावडर लगवाया जाकर उपस्थितगणों को फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही की आवश्यक समझाईस कर फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पावडर मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।तत्पश्चात् परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सर्व श्री सज्जन कुमार पुलिस निरीक्षक अमित ढाका हैड कानि.139 सुभाष हैड कानि.35 दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नीरज जोशी एवं आकाश राज मय टेप बॉक्स विभागीय लैपटॉप मय सरकारी वाहन ट्रवेरा आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री अमर सिंह नं. 327 तथा श्री कमलेश हैड कानि.74 श्री विनोद कुमार कानि.246 श्री हिम्मत सिंह कानि.560 श्री दीपेन्द्र सिंह कानि.365 श्री धर्मसिंह कानि.249 श्रीमती सोहनी महिला कानि. 207 श्री योगेश कुमार कानि. 202 को सरकारी वाहन फोर्स ट्रेवलर नं आरजे 14 पीई 8775 चालक श्री

रोहिताश नं. 636 के कृषि उपज मण्डीसुरजपोल मण्डीजयपुर के पास पहुचने की हिदायत कर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी के परिवादी की मोटर साईकिल नं. आरजे 14 पीएस 1077 के साथ ट्रेप पार्टी के आगे-आगे रवाना होकर कृषि उपज मण्डी सुरजपोल जयपुर के बाहर दिल्ली रोड़ पर पहुच कर मोटर साईकिल को साईड में खड़ी करवायी इसी दौरान मन् पुलिस निरीक्षक के पीछे-पीछे ट्रेप पार्टी टीम सर्व श्री सज्जन कुमार पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता स्वतन्त्र गवाहान मय सरकारी वाहन चालको के उपस्थित आये जिस पर सरकारी वाहन फोर्स ट्रेवलर गाड़ी को मण्डी में ले जाने पर गोपनीयता भंग होने की संभावना होने से सरकारी वाहन फोर्स ट्रेवलर नं आरजे 14 पीई 8775 चालक श्री रोहिताश नं. 636 को मण्डी के गेट के बाहर दिल्ली रोड़ पर खडे रहने की हिदायत कर श्री कमलेश हैड कानि.74 श्री विनोद कुमार कानि.246 श्री हिम्मत सिंह कानि.560श्री दीपेन्द्र सिंह कानि.365 श्री धर्मसिंह कानि.249 श्रीमती सोहनी महिला कानि. 207 श्री योगेश कुमार कानि. 202 को पैदल-पैदल मण्डी परिसर में परिवादी की दुकान के आस-पास पहुचने की हिदायत की तथा श्री सज्जन कुमार पुलिस निरीक्षक अमित ढाका हैड कानि.139 सुभाष हैड कानि.35 दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नीरज जोशी एवं आकाश राज मय टेप बॉक्स विभागीय लैपटॉप मय सरकारी वाहन ट्रवेरा आरजे 14 यूसी 8790 चालक श्री अमर सिंह नं. 327 को भी परिवादी की दुकान के आस-पास पहुच कर अपनी पहचान छुपाने की हिदायत की गई तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी के परिवादी की मोटर साईकिल नं. आरजे 14 पीएस 1077 परिवादी की दुकान को रवाना होकर परिवादी की दुकान पर पहुचा मोटर साईकिल को साईड में खड़ी करवाकर परिवादी की दुकान के अन्दर प्रवेश किया जहाँ पर पूर्व का रवाना शुदा श्री महेन्द्र कुमार कानि.372 उपस्थित मिला। श्री महेन्द्र कुमार ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी श्री इन्दर कुमार मीणा आज अपने कार्यालय में उपस्थित है इसी दौरान श्री सज्जन कुमार पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं हमराहियान जाब्ता भी उपस्थित आये। समय 305 पी.एम पर परिवादी ने संदिग्ध अधिकारी श्री इन्दर कुमार मीणा से मिलने जाने के पूर्व मोबाईल पर फोन करना उचित बतायाजिस पर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालु कर परिवादी से संदिग्ध श्री इन्दर कुमार मीणा के मोबाईल पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कॉल करवाया जाकर रिकॉर्ड किया गया। डीवीआर को बन्द किया गया। संदिग्ध श्री इन्दर कुमार मीणा ने परिवादी की दुकान पर ही आने की बात कही है । समय 3-09 पी.एम पर परिवादी को पुनः संदिग्ध अधिकारी से मिलने तथा संदिग्ध अधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर रिश्वत राशि सुपुर्द करने तथा मन् पुलिस निरीक्षक तथा श्री महेन्द्र कुमार कानि0 के मोबाईल पर तथा अपने मुह पर लगाये गये मास्क को हटाकर अपने हाथ में लेने हेतु पूर्व निर्धारित ईशारा करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात श्री महेन्द्र कुमार कानि- से रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम में लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने के लिये सुपुर्द किया गया। श्री महेन्द्र कुमार कानि- तथा स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के इर्द-गिर्द रहते हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध अधिकारी तथा परिवादी के मध्य होने वाले रिष्वत राषि आदान-प्रदान को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्ता को यथा सम्भव सुनने की हिदायत की गई। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता भी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के आस-पास रहते हुये उस पर निगरानी रखते हुये परिवादी के इंशारे के इंतजार में मुकीम हुये। परिवादी कुछ समय पश्चात अपनी मोटरसाईकिल पर बैठकर मण्डी कार्यालय की ओर रवाना हुआ। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता भी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के पीछे-2 रवाना हुवे। समय 3-25 पी.एम पर श्री महेन्द्र कुमार कानि0 ने मन् पुलिस निरीक्षक को व्हाटसअप कॉल कर बताया कि परिवादी को संदिग्ध अधिकारी ने सुलभ कॉम्पलेक्स के पास मिलने के लिये बुलाया है। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता भी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के पीछे-पीछे सुलभ कॉम्पलेक्स के पास मुकिम हुवे।समय 3-46 पीएम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल ने सफेद रंग की हुंडई आईटेन कार नम्बर आरजे 45 सीआर 0661 से बाहर निकलकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर श्री महेन्द्र कुमार कानि. 372 ने भी मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये व्हाटसएप्प कॉल कर परिवादी के ईशारे हेतु सूचित किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता मय उपरोक्त मौतबिरान के सुलभ कॉम्पलेक्स सार्वजनिक शौचालय, गुडमण्डी के सामने खडी उपरोक्त सफेद रंग की गाडी के पास पहुंचा तो परिवादी ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत किया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। तत्पश्चात परिवादी ने उक्त गाडी की ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह ही श्री इन्द्र कुमार मीणा कृषि उपज मण्डी समिति सूरजपोल जयपुर का अधीक्षक है। इन्होंने अभी मुझे अपनी गाडी में बुलाकर मेरी पत्नी श्रीमती रेणू अग्रवाल के नाम की हमारी फर्म रेणू ट्रेडर्स का कृषि उपज मण्डी समिति का लाईसेंस जारी करने एवं मण्डी में हमारी फर्म पर सामान लाने वाले वाहनों की एन्ट्री करने की एवज में रिश्वत राशि मांगने पर मैंने अभी केवल लाईसेन्स जारी करने की बात कर पूर्व में तयशुदा उक्त फिनॉफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि इन्द्र कुमार मीणा को दे दी जिन्होने उक्त रिश्वति राशि अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने पहने हुये शर्ट के उपर की जेब में रखे है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने उक्त गाडी आरजे 45 सीआर 0661 की ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति से ड्राईवर साईड का फाटक खुलवाकर उक्त व्यक्ति को अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर अपने आने का प्रयोजन बताकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री इन्द्र कुमार मीणा पुत्र स्व0 श्री शिवचन्द मीणा उम्र 59 साल निवासी ग्राम गुलाणा तहसील बसवा जिला दौसा हाल मकान नम्बर 06 एमबी 49 इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर हाल सहायक सचिवकृषि उपज मण्डी समिति अनाज सूरजपोल जयपुर होना बताया। संदिग्ध

श्री इन्द्र कुमार मीणा को मन् निरीक्षक पुलिस ने उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल से कोई रिश्वत राशि लेने के सम्बंध में पूछने पर संदिग्ध श्री इन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि मैंने कोई राशि नहीं ली है। तत्पश्चात् संदिग्ध श्री इन्द्र कुमार मीणा को गाडी से बाहर निकालकर संदिग्ध श्री इन्द्र कुमार मीणा का दाहिना हाथ श्री महेन्द्र कुमार कानि0 तथा बायां हाथ गवाह श्री आकाश से पकडवाया जाकर तसल्ली देकर संदिग्ध श्री इन्द्र कुमार मीणा को पुनः पूछा गया तो उसने बताया कि मैंने श्री नवीन कुमार अग्रवाल से कोई राशि ली है, इसने ही अभी राशि मुझे दी है। जिस पर उक्त राशि किस कार्य हेतु देने के सम्बंध में पूछने पर संदिग्ध श्री इन्द्र कुमार मीणा ने स्वयं को जानकारी नहीं होना बताकर चुप हो गया। मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि इन्होंने मुझसे मेरे व्यापार सम्बंधित मण्डी का लाईसेंस जारी करने के लिये पूर्व सत्यापन में मेरे से रिश्वत की मांग की थी। पहले इन्होने हमारी फर्म का लाईसेन्स बनाने के लिये आठ-दस हजार रूपये मांगे थे, अभी इन्होने लाईसेन्स बनाने के लिये 7300@-रूपये मांगे हैं तथा मण्डी में हमारी फर्म पर आने वाली गाड़ियों की एन्ट्री के रूप में 18900@-रूपये मांगे मेरे द्वारा कुछ कम करने की कहने पर 900@रूपये कम कर 18000@-रूपये देने के लिये कहा तब मैंने अभी केवल लाईसेन्स के पैसे देने व गाड़ियों के पैसे कल देने के लिये कहा तो इन्होने मुझसे लाईसेन्स बनाने की एवज में 8000@-रूपये लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की जेब में रखे हैं। जिस पर संदिग्ध श्री इन्द्र कुमार मीणा को परिवादी के कार्य के सम्बंध में पूछने पर बताया कि इन्होंने अभी मुझे इनकी फर्म का कृषि उपज मण्डी लाईसेंस बनवाने के लिये लाईसेंस का फार्म एवं कागजात दिये थे और लाईसेंस जारी करने के लिये कहा था। पहले भी एक दिन यह मेरे पास आया था तब भी यह लाईसेंस के लिये बात कर रहा था। अभी इसने मुझे फार्म के साथ पैसे दिये है। तत्पश्चात संदिग्ध श्री इन्द्र कुमार मीणा से उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल का लाईसेंस जारी करने की एवज में फिस चार्ज आदि के सम्बंध में पूछने पर संदिग्ध श्री इन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि मण्डी कार्यालय से आवेदनकर्ता को 200@ रूपये की रसीद व्यापारी फर्म का लाईसेन्स लेने के लिये तथा 300@रूपये की रसीद आढत का लाईसेन्स लेने के लिये कटवानी पडती है इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगता। श्री नवीन कुमार ने अभी रसीद नहीं कटवाई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया तथा परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल द्वारा बताये गये तथ्यों की ओर पुष्टि हेतु पीने के साफ पानी की दो बोतलें मंगवाई जाकर सरकारी गाडी से ट्रैप बॉक्स मंगवाया गया ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकालकर उनमें पानी भरकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा के बांये हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा के दाहिने हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कब्जा एसीबी लिया गया।तत्पष्चात् परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा के पहनी हुई हल्के आसमानी कलर की लाईनदार शर्ट के जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री आकाश से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुयी शर्ट की जेब से 500500 रूपयें के नोट बरामद होना पाया गया। जिसे स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो 500500 रूपये के कुल 16 नोट कुल 8000@- रूपये (भारतीय चलन मुद्रा के) बरामद हुये।दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त बरामदा नोटों के नम्बर चैक करवाकर उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। बरामदषुदा 8000@ रूपये को एक सफेद कागज में सील मोहर करवाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात् एक साफ कांच के गिलास को श्री हिम्मत सिंह कानि- 560 से साफ पानी से अच्छी तरह धुलवाकर गिलास में पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पष्चात् आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा की मौके पर पहनी हुई शर्ट को उतरवाकर पहनी हुई जैकिट को वापस पहनाया गया तथा शर्ट की जेब को उलटवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट के तैयार घोल में डुबोकर नियमानुसार धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की षिषियों में आधा-आधा भरकर सीलचीट चस्पा कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क अंकित किया गया। उसके बाद आरोपी श्री इन्द्र कमार मीणा की शर्ट की जेब को सुखाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर सफेद कपड़े की थैली में सीलमोहर कर मार्क अंकित कर कपडें की थैली पर भी सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया।तत्पश्चात् आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा को गाडी सं- आरजे 45 सीआर 0661 हुंडई आईटेन कार के सम्बंध में पूछने पर बताया कि यह कार हमारी मण्डी के सुपरवाईजर श्री मनीष चौधरी की है। इस गाडी को हम दोनों ही उपयोग में लेते है। तत्पश्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहान से आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा की गाडी सं0 आरजे 45 सीआर 0661 हुंडई आईटेन कार की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी की गाडी की पिछे की शीट पर एक खाकी रंग की फाईल तथा पीले रंग के कागजों की लाईसेंस फीस की रसीद एवं

कुछ कागजों का एक बंच मिला। जिनका अवलोकन करने पर पीले रंग के कागजों की लाईसेंस फीस की रसीद संख्या 1344789 से लेकर 1344793 तक दिनांक 14-05-2025 की जारीशुदा अलग-अलग पार्टीयों की हैंजिनके बारे में श्री इन्द्र कुमार मीणा ने उक्त लाईसेंस जारी हो जाना एवं पार्टीयों द्वारा लाईसेंस ले जाना बताया तथा कागजों के बंच के सम्बंध में मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि यह हमारी फर्म का लाईसेंस बनवाने के दस्तावेज है जो इन्होंने मुझसे अभी लिये थे । तत्पश्चात गाडी में खाकी कलर की बरामद फाईल के सम्बंध में आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा ने पूछने पर बताया कि यह मेरे लुनियावास के प्लॉट की फाईल है। जिसका अवलोकन करने पर उक्त पत्रावली बाबा आरएन गौड गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर की स्कीम गोवर्धन धाम-तृतीय खोरी रोड लुनियावास जयपुर के प्लाट नम्बर 227 क्षैत्रफल 100 वर्ग गज जिसका आवंटन पत्र आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा के नाम से दिनांक 06-06-1998 को जारी है की पत्रावली होना पाया गया। उक्त गाडी से बरामद समस्त दस्तावेज तथा पत्रावली पर दोनों स्वतंत्र गवाहान परिवादी तथा आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। दिनांक 10-11-2025 को श्री मालीराम द्वारा परिवादी को फोन कर लाईसेंस संबंधी वार्ता के लिये मण्डी पर बुलाने के संबंध में आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा को पुछने पर बताया कि श्री मालीराम व्यापार मण्डल का कर्मचारी है जो व्यापारियों के लिये काम धाम करता है। मैनें श्री नवीन कुमार की फर्म का लाईसेन्स बनवाने हेतु कागजात लेने के लिये श्री मालीराम को कहा था जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मालीराम के मोबाईल न. पर कॉल कर मालीराम को मौके पर तलब किया गया तो मालीराम ने बताया कि मेरे पैर में फ्रेक्चर होने से मैं 8-10 दिन में मण्डी आता हूं कल मैं मण्डी आया था अभी मण्डी नही आ सकता हु। श्री इन्द्र कुमार मीणा ने मुझे रेणु ट्रेडर्स का लाईसेंस बनवाने के लिये श्री नवीन द्वारा कागजात देने के लिये कहा था इसलिये मैनें श्री इन्द्र कुमार मीणा के कहने पर श्री नवीन कुमार अग्रवाल को फोन किया था लेकिन नवीन कुमार ने मेरा फोन नही उठाया था थोडी देर बाद श्री नवीन कुमार ने मुझे फोन कर किसी रिश्तेदार का बीमार होना बताकर मण्डी में नही आना बताया था तो मैं मण्डी से वापस अपने घर चला गया था। अब तक की कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री कमलेश एच-सी 74 द्वारा विभागीय पेनासोनिक कैमरे से करवाई गई।तत्पश्चात मौके पर भीड-भाड तथा मण्डी में आने जाने वाले वाहनों तथा लोगों की आमद-रफत ज्यादा होने से अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में उच्चाधिकारियों को निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही के बारे में अनुग्रह करने पर अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो मुख्यालय आकर करने के निर्देश प्राप्त होने पर जब्तशुदा रिश्वत राशि आर्टिकल/शिशि/पैकेट आदि को ट्रैप बॉक्स में सुरक्षित रखवाया गया। ट्रेप बॉक्स को सरकारी वाहन में सुरक्षित रखा गया।तत्पश्चात समय 4-35 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिटेनशुदा आरोपी इन्द्र कुमार मीणा को श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता श्री योगेश कुमार कानि. 202 एवं श्री दीपेन्द्र कुमार कानि. 365 के साथ सरकारी वाहन नम्बर आर जे 14 यूसी 8790 में बैठाकर बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय के लिये रवाना किया गया। परिवादी को अपनी मोटरसाईकिल से ब्यूरो कार्यालय पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय जाप्ता श्री अमित हैड कानि0 139 श्री सुभाष हैडकानि0 35 श्री कमलेश कुमार हैडकानि0 74 श्री धर्म सिंह कानि0 249 श्रीमती सोहनी महिला कानि मय ट्रैप बॉक्स लेपटॉप प्रिंटर कम्प्यूटर आदि साजो सामानविभागीय कैमरा एवं सरकारी वाहन मिनी बस से मौके से ब्यूरो मुख्यालय के लिये रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान के श्री हिम्मत सिंह कानि- को आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा की हुंडई आईटेन कार आरजे 45 सीआर 0661 की चाबी सुपुर्द कर हमराह ब्यूरो कार्यालय ले जाने की हिदायत कर रवाना होकर समय 5-00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा। जहां कार्यालय में पूर्व से परिवादी एवं श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता एवं डिटेनशुदा आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा के उपस्थित मिले। आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा की कार आरजे 45 सीआर 0661 को ब्यूरो कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ खडी करवाई गई।तत्पश्चात् डिटेनशुदा आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा से परिवादी की फर्म का लाईसेंस जारी करने के सम्बंध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि कृषि उपज मण्डी में कृषि जीन्सो का व्यापार करने के लिये व्यापारी के पास कृषि उपज मण्डी समिति का लाईसेंस होना जरूरी है लाईसेन्स बनवाने के लिये व्यापारी फर्म के नाम पोस्ट ऑफिस की दस हजार रूपये की एनएससी (राष्ट्रीय बचत पत्र) 100 @- रूपये स्टाम्प शपथ पत्र पासपोर्ट साईज फोटो व्यापार स्थल का नक्शा व फोटो दूकान की दूकान का किरायानामाफर्म की जीएसटी एवं आधार कार्ड व पेन कार्ड की प्रति सहित पत्रावली मण्डी कार्यालय में जमा करवायी जाती है। पत्रावली पर लाईसेंस बाबू नोटसीट लिखकर मुझे भेजता है फिर मैं लाईसेन्स पत्रावली पर अपनी टिप्पणी कर पत्रावली सचिव के पास अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज देता हूं जहां से सचिव अपनी टिप्पणी कर पत्रावली अनुमोदन हेतु प्रशासक को भेज देता हैं जहां से प्रशासक का अनुमोदन मिलने पर व्यापारी फर्म को 200 रूपये की रसीद मण्डी समिति कार्यालय में कटवानी पडती है तब सचिव द्वारा व्यापारी फर्म को लाईसेंस जारी कर दिया जाता है। नवीन की फर्म रेणू ट्रेडर्स के कागजात मैंने लिये थे उक्त कागजात को मैं लाईसेंस की कार्यवाही के लिये लाईसेंस बाबू को देता तब उपरोक्त प्रक्रियानुसार श्री नवीन कुमार की फर्म का मण्डी लाईसेंस जारी होता।तत्पश्चात आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री आकाश राज से लिवाई गई तो आरोपी की पहनी हुई पेंट की पीछे की जेब में एक ब्राउन कलर का पर्स मिला। पर्स के अन्दर 700@ रुपये एवं स्वंय का विभागीय पहचान पत्र आधार कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी स्वंय की पत्नि श्रीमति सन्तरा देवी के ड्राईविंग लाईसेन्स स्वंय का पैन कार्ड ड्राईविंग लाईसेन्स मिला एवं इसके अलावा एक मोबाईल फोन एप्पल कम्पनी का बरंग हल्का आसमानी मिला उक्त मोबाईल

फोन से आरोपी द्वारा परिवादी से कई बार वार्ताएं जरिये व्हाटसअप कॉल से की गई है इसलिये उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही हाजा का बतौर वजह सबूत होने से पृथक से जरिये फर्द कब्जा एसीबी लिया जावेगा।अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा पुत्र स्व0 श्री शिवचन्द मीणा उम्र 59 साल निवासी ग्राम गुलाणा तहसील बसवा जिला दौसा हाल मकान नम्बर 06 एमबी 49 इन्दिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर हाल सहायक सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) मुख्यालय सूरजपोल मण्डी जयपुर द्वारा परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल को उनकी सूरजपोल मण्डी स्थित फर्म रेणु ट्रैडर्स का लाईसेंस जारी करने की एवज में दिनांक 08-11-2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान तय रिश्वती राशि को आज दिनांक 11-11-2025 को परिवादी से बतौर अनुचित लाभ 8000@ रूपये प्राप्त करना प्रमाणित पाये जाने से आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा सहायक सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज मुख्यालय सूरजपोल मण्डी जयपुर द्वारा अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री इन्दर कुमार मीणा द्वारा उपयोग मे लिये जा रहे मोबाईल फोन एप्पल कम्पनी को पृथक से जरिये फर्द जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री इन्दर कुमार मीणा की गिरफ्तारी की सूचना एवम् पुलिस अभिरक्षा में ब्यूरो मुख्यालय पर रखे जाने के संबंध में उसके बेटे अमित को समय 06-40 पी-एम- पर दी गई सूचना के संबंध में रोजनामचाआम में रपट दर्ज करवाई गई। आरोपी श्री इन्दर कुमार मीणा का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु श्री कमलेश एचसी 74 मय श्री हिम्मत सिंह कानि 560 श्री योगेश कुमार कानि को तहरीर दी जाकर जयपुरिया अस्पताल के लिये मय सरकारी वाहन रवाना किया गया। परिवादी एवम् गवाहान को कल कार्यालय समय पर उपस्थित आने की हिदायत कर रुखस्त किया गया। आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर उपस्थित आने पर ब्यूरो के नये भवन में बन्द हवालात करवाया जाकर निगरानी डयुटी हेतु श्री कमलेश कुमार एच सी 74 को मुनासिब हिदासत की गई। दिनांक 12-11-2025 को परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 08-11-2025 को रिश्वत मांग सत्यापन एवम् दिनांक 10-11-2025 व 11-11-2025 को रिश्वत लेन-देन की डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं को परिवादी से आवाज की पहचान करवाई जाकर ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई एवं वार्ताओ की वॉयस क्लिपों को कम्प्यूटर के जरिये चार डीवीडीयाँ तैयार कर मार्का अंकित कर इनमें से तीन डीवीडी को कपडे की थैली में रखकर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। एक डिवीडी अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को सफेद कागज में लपेटकर एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। शिल्ड करने से पूर्व मूल मैमोरी कार्ड व मार्क A-1 डिवीडी की हैश वैल्यू एफटीके इमेजर से निकालकर शामिल पत्रावली की गई।ततपश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत विभागीय पैनासोनिक केमरे से उक्त हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिष्वत राषि की श्री कमलेश हैड कानि.नं. 74 से करवाई गई विडियो रिकॉर्डिंग जो विडियो कैमेरे में लगे 32 जीबी सनडिस्क मैमोरी कार्ड में सेव है। जिसकी कॉपी हेतु श्री महेन्द्र कुमार कानि 372 से दो अन्य खाली मैमोरी कार्ड 32 जीबी सनडिस्क की व्यवस्था कर विभागीय लेपटॉप की सहायता से विडियो कैमरे में लगे मेमोरी कार्ड में संरक्षित/सेव डाटा/विडियो क्लिप्स को दोनों खाली मेमोरी कार्डो में बारी-बारी से सेव/डाउनलोड किया गया। मेमोरी कार्डो की एफटीके इमेजर की सहायता से हैश वेल्यू निकाली गई। विडियो कैमरे के मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर सफेद कागज में लपेटकर माचिस की खाली डिब्बी में उक्त मैमोरी कार्ड को सफेद कागज सहित रखकर माचिस की डिब्बी को टैप लगाकर सफेद कपडे की खाली थैली में रखकर थैली को सीलकर शील्डमोहर कर मार्का अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दूसरे मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को टैप लगाकर सफेद कपडे की खाली थैली में रखकर थैली को सीलकर शील्डमोहर कर मार्का अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा विभागीय लेपटाप में लगे तीसरे मैमोरी कार्ड को भी बाहर निकाल कर सफेद कागज में लपेटकर अनुसन्धान अधिकारी के लिये खुला रखा गया। जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाकर रसीद प्राप्त की गई।अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री शिवचन्द मीणा उम्र- 59 वर्ष निवासी- गुलाणा तहसील बसवा जिला दौसा हाल निवासी-म.नं. 6 एमबी 49 इन्द्रा गॉधीनगर जगतपुरा जयपुर हाल- सहायक सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) सुरजपोल मण्डी, जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल को उनकी सुरजपोल मण्डी फर्म रेणु ट्रेडर्स का लाईसेन्स जारी करने की एवज में दिनांक 08-11-2025 को दौराने सत्यापन परिवादी से 8000@ रूपये की रिश्वत राशि की मांग करना तथा उपरोक्त मांग के अनुसरण में दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री नवीन कुमार अग्रवाल से 8000@ रूपये की रिश्वत राशि बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ((यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।अतः आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री शिवचन्द मीणा उम्र- 59 वर्ष निवासी- गुलाणा तहसील बसवा जिला दौसा हाल निवासी-म.नं. 6 एमबी 49 इन्द्रा गॉधीनगर जगतपुरा जयपुर हाल- सहायक सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) सुरजपोल मण्डी जयपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ((यथा संशोधित

2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।(रघुवीर शरण)पुलिस निरीक्षकविशेष अनुसंधान ईकाईभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर............कार्यवाही पुलिस............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री इन्द्र कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री शिवचन्द मीणा, उम्र- 59 वर्ष, निवासी- गुलाणा तहसील बसवा जिला दौसा हाल निवासी-म.नं.-6 एमबी 49, इन्द्रा गाँधीनगर जगतपुरा जयपुर हाल- सहायक सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), सुरजपोल मण्डी, जयपुरके विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 271 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1696-99 दिनांक 14.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं मैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,क्रम संख्या-01 जयपुर 2- सचिव, कृषि उपज मंडी समीति (अनाज) जयपुर 3- उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Sajjan Kumar **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2025

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐं, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1966				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)